



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 476) पटना, बृहस्पतिवार, 16 अप्रील 2015

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2015

एस0ओ0 55, दिनांक 16 अप्रील 2015—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एस0ओ0-323 दिनांक 03.12.2008-सह-अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक 07.08.2008 द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शादातृ पर्षद का पुनर्गठन किया गया है।

उपर्युक्त गठित पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अधिसूचना की कंडिका-4 में वर्णित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक 07.08.2008 द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी परामर्शादातृ पर्षद का निम्न रूप में पुनर्गठन करती है:-

स्वतंत्र सदस्य

- |     |   |   |                |
|-----|---|---|----------------|
| (1) | प्रधान सचिव/सचिव,<br>श्रम संसाधन विभाग,<br>बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष        |
| (2) | श्रमायुक्त, बिहार                                       | - | सचिव-सह-संयोजक |
| (3) | निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय,<br>बिहार, पटना।           | - | सदस्य          |
| (4) | ग्रामीण विकास विभाग,<br>बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि     | - | सदस्य          |

(5)	नगर विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि।	-	सदस्य
(6)	कृषि विभाग, बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(7)	औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(8)	पर्यावरण एवं वन विभाग, के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

#### नियोजकों के प्रतिनिधि

- (1) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
- (2) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ (COMFED)।
- (3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम।
- (4) पी0के0अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
- (5) सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
- (6) आर0एल0 खेतान, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
- (7) अरूण अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
- (8) अनिल चमरिया, सत्कार होटल, कटिहार।
- (9) डॉ0 कुमार अरूणोदय, आचार्य सुदर्शन फाउण्डेशन, पटना।
- (10) महाप्रबंधक, बाटा इंडिया लि0, शाखा पटना।
- (11) नरेश भट्ट, सचिव, बिहार चीनी मिल एसोसियेशन।
- (12) अखिलेश कुमार, प्रबंध निदेशक, गंगा डेयरी, बेगूसराय।

#### नियोजितों के प्रतिनिधि

- (1) श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, रिफाईनरी मजदूर यूनियन, बरौनी।
- (2) डॉ0 सियाराम शर्मा, अध्यक्ष, खेतिहर मजदूर संघ, पश्चिम बिहार, रंजन पथ, बेली रोड, पटना।
- (3) श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह, महासचिव, अग्रगामी असंगठित मजदूर यूनियन।
- (4) श्री विकास सिंह, अध्यक्ष इंटक (जूट मिल), कटिहार।
- (5) श्री राकेश चौधरी, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ (जूट मिल), कटिहार।
- (6) श्री प्रमोद कुमार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर, बिहार राज्य कमिटी, मेनका मार्केट, प्रथम तल्ला, नाला रोड, पटना।
- (7) श्री अरूण कुमार मिश्रा, भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, सूर्या पैलेस, जमाल रोड, पटना।
- (8) श्री श्रीवास्तव अविनाश प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश, क्वार्टर नं0-1, रोड नं0-1, गर्दनीबाग, पटना।
- (9) सलोनी, सचिव, घरेलू कामगार संघ, कुल्हरिया कम्प्लेक्स, 5, बी0-1, अशोक राजपथ, पो0-बांकीपुर, पटना-4
- (10) राज्य समन्वयक, नेशनल एसोसियेशन ऑफ स्ट्रीट भेन्डर्स ऑफ इंडिया (NASVI), शाखा पटना-।
- (11) मेसर्स एस0के0नसीरूद्दीन, बीडी कम्पनी प्रा0लि0, बिहारशरीफ, नालंदा।
- (12) राज्य समन्वयक, सेवा भारत।

2. समिति का मुख्यालय पटना में रहेगा।

3. समिति की अवधि दो वर्षों की होगी परन्तु दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अगला पुनर्गठन होने तक उक्त समिति कार्य करती रहेगी।

4. चूंकि यह समिति वैधानिक (Statutory) है। अतएव बिहार दैनिक भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-144 (1) के अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1524 दिनांक 10.03.2000 के कंडिका-3 (ए) (ii) में अंकित वेतन सीमा (8000 रूपया एवं इसके अधिक किन्तु 16400 रूपया से कम) तथा वित्त विभाग

के संकल्प सं०-922 दिनांक 29.01.2010 के आलोक में समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, के निमित्त द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी माने जाएंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता देय होगा :-

1. रेल यात्रा - (i) सभी ट्रेनों के लिए ए०सी० 2 टायर  
(ii) राजधानी एक्सप्रेस तदैव  
(iii) शताब्दी एक्सप्रेस ए०सी० कर्सुगियान
2. सड़क यात्रा- गैर ए०सी० टैक्सी/बस
3. (i) दैनिक भत्ता (अन्य शहरों के लिए) सामान्य - रूपया 200/-  
(ii) होटल - - रूपया 1000/-

4. सदस्य को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने जिस यात्रा/विराम भत्ता के लिए दावा किया है, उसके संबंध में उन्होंने दूसरे श्रोत से कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं लिया है।

5. श्रमायुक्त, बिहार समिति के सचिव-सह-संयोजक गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

6. इसका आय व्यय-व्यय शीर्ष-“2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता विपत्र कोड-एन०-2052000900013 के अन्तर्गत यात्रा व्यय इकाई से विकलनीय होगा।

7. यात्रा भत्ता के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्रसारित की जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-1025/2010 श्र०सं०-271)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरूण कुमार नं०-1,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 476-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>